न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील/एल.आर./4400/2004/दौसा

लीलाधर पुत्र नाथूलाल, जाति महाजन, निवासी ग्राम बडौली, तहसील दौसा, जिला दौसा।

-- अपीलाण्ट

बनाम

1. हरफूल पुत्र जयराम, जाति मीणा, निवासी ग्राम बडौली, तहसील दौसा, जिला दौसा।
2. राजस्थान सरकार जरिये कलक्टर, दौसा।
3. आवंटन कमैटी जरिये अध्यक्ष, उप जिला कलक्टर, दौसा।

-- रैस्पोण्डेण्ट

एकल-पीठ
श्री महावीर सिंह, सदस्य

उपस्थिति :-
(1) श्री के0के0 पुरोहित, अभिभाषक अपीलार्थी
(2) श्री अजीत लोढा, अधिवक्ता रैस्पो0

निर्णय

दिनांकः 16-04-2019

हस्तगत द्वितीय अपील धारा 76, सपठित धारा 9, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 (संक्षेप में अधिनियम, 1956) के तहत विद्वान भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, दौसा द्वारा अपील संख्या 7/2001 शीर्षक हरफूल बनाम लीलाधर में पारित निर्णय दिनांक 29-07-2004 के विरुद्ध मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

2- प्रकरण के संक्षिप्त एवं सारगर्भित तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी नाथूलाल के पक्ष में अध्यक्ष आवंटन सलाहकार समिति, उप खण्ड अधिकारी, दौसा के द्वारा आराजी स्थित ग्राम सिण्डोली, तहसील दौसा खसरा नम्बर 642 में से रकबा 9 एअर भूमि का आवंटन दिनांक 5-6-1992 को किया गया। उक्त आवंटन को निरस्त कराने हेतु प्रार्थी/रैस्पो0 संख्या-1 द्वारा राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन), नियम-1970 के नियम 14 (4) के तहत प्रार्थना पत्र जिला कलक्टर, दौसा के समक्ष प्रस्तुत किया, जिसे निर्णय दिनांक 08-02-2001 से जिला कलक्टर ने खारिज किया। इस निर्णय के विरुद्ध शिकायतकर्त्ता द्वारा अपील प्रस्तुत करने पर भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, दौसा द्वारा निर्णय दिनांक

29-07-2004 से अपील को स्वीकार किया गया। उक्त निर्णय के विरुद्ध मण्डल के समक्ष हस्तगत द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई है।

3 - अभिभाषकगण उभय पक्ष की बहस अपील पर सुनी गई ।

4- अपीलार्थी के योग्य अभिभाषक ने अपील मीमो में अंकित तथ्यों को बहस में दोहराते हुये कथन किया कि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा आराजी स्थित ग्राम सिण्डोली, तहसील दौसा खसरा नम्बर 642 में से रकबा 9 एअर भूमि का आवंटन दिनांक 5-6-1992 को अपीलार्थी के पक्ष में विधिवत पात्रता का परीक्षण करते हुये किया गया था। उक्त आवंटन को निरस्त कराने हेतु वर्तमान रैस्पो0 के द्वारा जब जिला कलक्टर के समक्ष राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन), नियम-1970 के नियम 14 (4) के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था तो उक्त प्रार्थना पत्र को जिला कलक्टर द्वारा विधिवत परीक्षण करते हुए निर्णय दिनांक 8-8-2001 से निरस्त किया है, जो कि उचित आदेश है। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने पूर्णतया तथ्यों की अनदेखी करते हुये अविधिक रुप से इस आवंटन को आक्षेपित अपीलाधीन निर्णय से निरस्त किया है। योग्य अधिवक्ता ने कथन किया कि प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष वर्तमान रैस्पो0 के द्वारा राजीनामा पेश कर दिया गया था और राजीनामा के आधार पर दिनांक 20-6-2003 को अपील को नौट प्रैस में खारिज कर दिया गया था। इस आवेदन पर रैस्पो0 के स्वयं के हस्ताक्षर हैं, अतः एक बार नॉट प्रैस में अपील खारिज कराने के बाद उसे अपीलार्थी के प्रार्थना पत्र के आधार पर दोबारा से नम्बर पर ले कर निर्णय करना नियमों के पूर्णतया विपरीत है। योग्य अधिवक्ता ने बहस में आगे कथन किया कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने आवंटन को निरस्त करने का आधार यह लिया है कि नियमों के अनुसरण में पहले वर्ष में आधी भूमि पर तथा दूसरे वर्ष में शेष भूमि पर काश्त नहीं की गई है, जब कि पटवारी हल्का द्वारा की गई रिपोर्ट के अनुसार आवंटी का सम्वत् 2050-56 तक निंरतर कब्जा काश्त चलता रहा है। जिला कलक्टर ने भी अपने निर्णय में इसे स्पष्ट रुप से अंकित किया है। योग्य अधिवक्ता ने अपने समर्थन में राज्य सरकार के परिपत्र संख्या एफ. 6(44) रैवै.6/2001/73 दिनांक 28-12-2001 का हवाला देते हुये कथन किया कि इस परिपत्र के अनुसार यदि 29-9-1999 से पूर्व का आवंटन रहा है और यदि पहले वर्ष में आधी भूमि पर तथा दूसरे वर्ष में शेष भूमि पर काश्त नहीं की गई है, तो इस आधार पर आवंटन निरस्त नहीं किया जा सकता है। अतः इस आधार पर आवंटन को निरस्त करने में अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने स्पष्टतया विधिक भूल की है। प्रार्थी द्वारा समस्त तथ्यों को रिकार्ड पर रखते हुये बिना कोई फ्राड या मिस-रिप्रजैंटेशन कराए आवंटन कराया है, अतः आवंटन को निरस्त करने का किसी प्रकार का आधार नहीं बनता है। अन्त में योग्य अधिवक्ता ने अपील स्वीकार कर

अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय के निर्णय को निरस्त करने का निवेदन किया।

5– रैस्पो0 के योग्य अधिवक्ता का बहस में कथन रहा है कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय में हमारे द्वारा कोई राजीनामा प्रस्तुत नहीं किया गया है और ना ही अपील को नॉट प्रैस किया गया है। दिनांक 20–6–2003 को अपील को गलत प्रकार से नॉट प्रैस किया गया है। आवेदन प्रस्तुत कर अपील को पुनः नम्बर पर लिया गया है और अपीलाधीन निर्णय के द्वारा गुणावगुण पर परीक्षण किया गया है। योग्य अधिवक्ता ने बहस में आगे कथन किया कि अपीलार्थी के पक्ष में जो भूमि आवंटित की गई है, उस पर आवंटी द्वारा आवंटन की शर्तो के अनुसरण में पहले वर्ष में आधी भूमि पर तथा दूसरे वर्ष में शेष भूमि पर काश्त नहीं की गई है। आवंटी सद्भावी काश्तकार नहीं है। अतः आवंटन की शर्तो की अनुपालना नहीं किए जाने से अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा अपीलार्थी के पक्ष में किए गए आवंटन को निरस्त करने में किसी प्रकार की तथ्यात्मक या विधिक भूल नहीं की है। अपील में किसी प्रकार का सार नहीं होने से खारिज की जाए।

6– अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय व अन्य उपलब्ध अभिलेख का अध्ययन किया।

7– पत्रावली के अवलोकन से यह निर्विवाद है कि अपीलार्थी लीलाधर के पक्ष में खसरा नम्बर 642 में से रकबा 9 एअर भूमि के किए गए आवंटन आदेश दिनांक 05–06–1999 को निरस्त कराने हेतु प्रार्थी हरफूल की ओर से प्रस्तुत किए गए प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम, 1970 को, परीक्षण उपरान्त दिनांक 08–02–2001 से जिला कलक्टर, दौसा ने खारिज कर आवंटन दिनांक 05–06–1999 की पुष्टि की है। उक्त निर्णय दिनांक 08–02–2001 के विरुद्ध शिकायतकर्त्ता/वर्तमान रैस्पो0 संख्या–1 के द्वारा अधीनस्थ प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई थी। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि दिनांक 20–6–2003 को राजीनामा के आधार पर अपील को नौट प्रैस में खारिज किया गया है। प्रार्थी द्वारा जो बाजदायरी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है उसमें अंकित किया है कि प्रार्थी अपीलाण्ट के वकील ने अपील को नौट प्रैस में खारिज करा लिया, जब कि पाया जाता है कि नौट प्रैस हेतु जो प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है उस पर रैस्पो0 व अपीलार्थी दोनों के हस्ताक्षर हैं और अपील को नौटस प्रैस करने की दोनों पक्षों ने सहमति दी है। अतः हमारे मतानुसार एक बार अपील को नौट प्रैस के आधार पर खारिज कराने के बाद पुनः नम्बर पर लिया जाना ही गलत कार्यवाही थी।

8- प्रकरण में परीक्षण में पाया जाता है कि आवेदक द्वारा जो आवंटन हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है उसमें पटवारी की रिपोर्ट के अनुसार आवंटित 9 एअर भूमि को मिला कर आवंटी के पास कुल 1.33 है0 भूमि होती है, अतः स्पष्ट है कि आवंटी भूमिहीन व्यक्ति है। रैस्पो0/प्रार्थी ने अपने शिकायत प्रार्थना पत्र में कहीं स्पष्ट नहीं किया है कि आवंटी द्वारा किसी प्रकार से फ्राड या मिस-रिप्रजैंटेशन के आधार पर आवंटन कराया हो, स्पष्ट है कि अपीलार्थी द्वारा आवंटन कराने में किसी प्रकार से गलत तथ्य आवंटन के समय प्रस्तुत नहीं किए हैं। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा अपील को स्वीकार कर आवंटन को निरस्त करने का मुख्य आधार यही लिया गया है कि आवंटी द्वारा आवंटन की शर्तो के अनुसरण में पहले वर्ष में आधी भूमि पर तथा दूसरे वर्ष में शेष भूमि पर काश्त नहीं की गई है। इसके विपरीत जिला कलक्टर ने अपने निर्णय में अंकित किया है कि पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 30-11-99 को प्रार्थना पत्र पर अंकित किया है कि आवंटी द्वारा सम्वत् 2050 से 2056 तक निरंतर काश्त की है। जहॉ तक काश्त नहीं करने के आधार पर आवंटन को निरस्त करने का प्रश्न है तो इस सम्बन्ध में राज्य सरकार के परिपत्र संख्या एफ. 6(44) रैवै. 6/2001/73 दिनांक 28-12-2001 में व्यवस्था दी गई है कि "सभी व्यक्ति, जिनको दिनांक 29.9.1999 से पूर्व भूमि आवंटित की गई थी, तथा जिन्होंने आवंटन के प्रथम वर्ष में 50 प्रतिशत भूमि पर खेती नहीं की थी तथा द्वितीय वर्ष में अवशिष्ट क्षेत्र एवं उसका आवंटन रद्द नहीं किया गया था, के खातेदारी अधिकार प्रदत्त किए जाने के वैसे ही पात्र होंगे जैसे मानो वे गत तीन वर्षो से उक्त आवंटित भूमि पर खेती कर रहे हैं तथा आवंटन की अन्य शर्तो को पूर्ण करते हैं।" हस्तगत प्रकरण में भी स्पष्ट है कि आवंटी के पक्ष में किया गया आवंटन दिनांक 5-6-1999 दिनांक 29.9.1999 से पूर्व का है। अतः अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा आवंटी के आवंटन को निरस्त करने का जो आधार लिया है वह न्यायोचित नहीं। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा अपील को स्वीकार कर जिला कलक्टर के निर्णय को निरस्त करने का जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है वह उचित प्रतीत नहीं होता है और अपील सारवान पाए जाने से स्वीकार योग्य पाई जाती है।

9- फलतः अपील अपीलार्थी **स्वीकार** की जाती है और भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, दौसा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29-07-2004 निरस्त किया जा कर जिला कलक्टर, दौसा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 08-02-2001 बहाल किया जाता है।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

(महावीर सिंह)
सदस्य